न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 89/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक: 23.10.2018
अन्तर्गत धारा: 75(1) (एफ) राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 गोपीबाई पत्नी राधाकिशन जाति माली निवासी कोटडी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

1 माणकचंद पुत्र गोमदा उर्फ गोविन्दलाल जाति माली निवासी सुभाष कोलोनी खेडली फाटक कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

2 रूपनारायण पुत्र श्रीलाल जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

2/1–दीपेश सुमन आत्मज स्व0 रूपनारायण जाति माली निवासी म0 नं0 3 एफ 4 आर0के0पुरम बोम्बे योजना कोटा

2/2–कुशल सुमन आत्मज स्व0 रूपनारायण जाति माली निवासी भीमगंजमण्डी थाने के पीछे कोटा जंक्शन कोटा

2/3–लोकेश सुमन आत्मज स्व0 रूपनारायण जाति माली निवासी मकान नं0 3 एफ 4 आर0के0पुरम बोम्बे योजना कोटा।

3 राधेश्याम पुत्र श्रीलाल जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

4 मांगीलाल आत्मज श्रीलाल जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

5 दिनेश आत्मज लालचन्द जाति काछी निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

6 बंटी आत्मज लालचंद जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री उत्तमचंद खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मुकेश मीणा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 3 ता 8

:::निर्णय:::

दिनांक 7.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार (भू अभि0) के0 पाटन (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पत्रावली सं0 20 व 21/2014 उनवान गोपीबाई बनाम माणकचंद मे पारित निर्णय दिनांक 14.11.2014 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अधीनस्थ न्यायालय मे गोपीबाई बेवा मांगीलाल वगेरा द्वारा वसीयतनामा दिनांक 28.11.1986 के आधार पर मृतक नन्दा उर्फ नन्दलाल पि0 शंकरिया के स्थान पर वसीयतग्रहिताओं के नाम नामा0 दर्ज करने हेतु संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने उपरांत प्रकरण दर्ज कर गवाहान एवं प्रार्थीगणों को सुनवाई हेतु तलब किये जाने पर दौराने कार्यवाही माणकचंद आ0 गोविन्दलाल माली द्वारा भी एक वसीयतनामा दिनांक 11.11.2001 पब्लिक नोटेरी शुदा अपने स्वयं के हक मे प्रमाणित शुदा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर माणकचंद के पक्ष मे की गई वसीयत प्रमाणित होने से उसके

द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर ग्राम अरनेठा की कुल किता 18 रकबा 7.27 है हिस्सा 1/4 भूमि मे नन्दा पिता शंकरया का हिस्सा 1/4 पर एवं ग्राम श्रीपुरा के ख0 नं0 216 रकबा 0.25 है0, ख0 नं0 436 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 हिस्सा 1/2 पर नन्दा उर्फ नन्दलाल पि0 शंकरिया जाति माली के स्थान पर वसीयतग्रहिता माणकचंद आ0 गोमदा उर्फ गोविन्दलाल जाति माली निवासी सुभाष कॉलोनी खेडली फाटक का नाम दर्ज किये जाने का जेरअपील निर्णय दिनांक 14.11.2014 पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी गोपीबाई द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियिम की धारा 75 (1) (एफ) मे न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तुस्थिति एवं विधि के मान्य सिद्धान्तो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत संबधी विधि पर मनन नही किया। मृतक नन्दा उर्फ नन्दलाल द्वारा दिनांक 28.11.86 को अपीलांट एवं अपनी बहिन के नाम निष्पादित पंजीकृत वसीयत के मुकाबले अपंजीकृत वसीयत को आधार बनाकर विधि के विपरीत आदेश पारित किया है। अपंजीकृत वसीयत अवास्तविक व बनावटी है। मृतक नन्दा द्वारा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत वसीयत के अतिरिक्त अन्य कोई वसीयत निष्पादित नही की गई। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वसीयत कानूनी रूप से प्रभाव शून्य है। वाद विषयक सम्पत्ति के संबध मे दो वसीयत नामों के प्रस्तुत होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को तुलनात्मक विवेचन का अधिकार नही रह जाता है तथा कानूनी रूप से ऐसी स्थिति मे वसीयत की वास्तविकता एवं वसीयत के प्रमाणित होने संबधी विवेचन का अधिकार मात्र दिवानी न्यायालय को ही है ऐसी स्थिति मे निर्णय पारित नही कर दीवानी न्यायालय को रेफर किया जाना विधि संगत था। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर क्षेत्राधिकार का उल्लधंन किया है। विरासत विधि के अनुसार नन्दा उर्फ नन्दलाल की मृत्यु उपरांत मृतक की बहिन अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 2 लगायत 5 की माता एवं रेस्पो0 नं0 6 व 7 की दादी मुस0 सीताबाई ही मात्र उत्तराधिकारी है माणकचंद नन्दा के भाई का पुत्र होने से किसी प्रकार का कोई हक नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की गलत रूप से व्याख्या की है। अपीलांटा को अपनी बहिन के पुत्र लालचंद से मिलने पर दिनांक 15.1.15 को पहली बार जेरअपील निर्णय के बावत जानकारी होने पर अपील धारा 5 मियाद के साथ पेश की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.11.2014 एंव इसकी पालना मे ग्राम अरनेठा एंव श्रीपुरा तहसील के0 पाटन स्थित नन्दा की भूमि के संबध मे दर्ज नामा0 की प्रविष्ठि को निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया नन्दा उर्फ नंदलाल ला औलाद फौत हुआ है। मृतक नन्दा के गोपीबाई व सीताबाई बहने है मृतक द्वारा दिनांक 28.11.1986 मे दोनो बहिनों के पक्ष मे रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की है। रेस्पो0 का कथन है कि दिनांक 11.11.2001 को पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित वसीयत उसके पक्ष मे निष्पादित की है। गोपीबाई माणकचंद दोनो ने ही वसीयत के आधार पर नामा0 खोलने का प्रा0 पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने माणकचंद की वसीयत को सही माना तथा बहिनों की वसीयत मे प्रोपर्टी का विवरण नही प्रोपर्टी एक्ट का हवाला देते हुये वसीयत को नही माना जबकि प्रोपर्टी का हवाला देना आवश्यक नही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 एवं 74 के अनुसार वसीयत को ट्रान्सफर नही किया जा सकता। तहसीलदार ने रजिस्टर्ड वसीयत को नही मानकर अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर आदेश पारित करने मे विधिक त्रुटि की है। बहस मे आगे बताया कि रेस्पो0 मृतक नन्दा का प्रथम श्रेणी का वारिस नही है। सैकेण्ड केटेगरी मे बहिने आती है वसीयत की वैधता तय करने का अधिकार तहसीलदार को नही होकर सिविल न्यायालय को है। दो वसीयत है ऐसी स्थिति मे स्वत्व का निर्धारण हेतु सिविल न्यायालय को रेफर किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार अधिनियम की गलत व्याख्या करते हुये जेरअपील निर्णय पारित किया है। अपीलांट के प्रा0 पर जांच नही की तथा ना ही गवाह लिये गये माणकचंद के गवाहों से जिरह का अवसर नही दिया। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की है विभाजन का दावा 2001 मे पेश किया गया इस दौरान नन्दा की मृत्यु हो गयी कायम मुकाम सीताबाई, गोपीबाई दो बहिने है सीताबाई की वर्ष 2006 मे मे मृत्यु हो गयी माणकचंद ने 2017 मे कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वसीयत के आधार पर कायम मुकामान बनाया गया। माणकचंद अपने नेचुरल सक्सेशन के आधार पर पक्षकार बना ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के खिलाफ है। अपने कथन के समर्थन मे एआईआर 1977 पेज 123, एआईआर 1979 पेज 1298, आरआरटी 2019 पेज 184, एआईआर 1974 पेज 73, आरपीटी 2017(2)पेज 1279 आरएलडब्लू 2013 (1)पेज 268 एआईआर 1987 पेज 1353, आरएलडब्लू 2013 (3) पेज 1921 तथा (2008) 8 एसएससी पेज 521, एसएससी 2017

(2) पेज 1047, एसएससी 2010 (2) पेज 162, आरआरटी 2017 (।।) पेज 1047 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर जेरअपील आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने बहस के दौरान कथन किया कि नन्दलाल एवं गोविन्दा भाई है माणकचंद गोविन्दा का पुत्र है नन्दलाल द्वारा माणकचंद के पक्ष मे दिनांक 11.11.2001 को वसीयत निष्पादित की है। नंदलाल दिनांक 21.2.2002 को फौत हुआ है। दोनो की ओर से प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया है। सेक्शन 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का कोई बिन्दू नही है। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है। जिस प्रोपर्टी की वसीयत है उसमे गोविंदा और नन्दा सयुक्त खातेदार है तथा शामलाती काश्त है। रेस्पो0 क्रम के पक्ष मे निष्पादित वसीयत अंतिम वसीयत है। 1986 मे निष्पादित वसीयत मे संपत्ति के हिस्से का विवरण नही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का सेक्शन 59 व 74 रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे निष्पादित वसीयत पर लागू नही होता है। सेक्शन 75 अनुसार वसीयत की विषयवस्तु की जांच कर आदेश पारित किया है। गवाहो को जिरह का अवसर नही देने संबधी अपीलांट की कोई आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नही है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 63 के अनुसार गवाहान के बयानो से वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। गवाहान ने माणकचंद के पक्ष मे वसीयत करने का कथन किया है। पटवारी रिर्पोट से भी माणकचंद का कब्जा होना साबित होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र शपथ पत्र मे झूठे तथ्य अंकित किये गये है। प्रार्थनाा पत्र धारा 14 मियाद अधिनियम मे अपील पेश करने की स्वीकृति नही ली गयी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 श्री घनश्याम नागर ने बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहो से जिरह का अवसर नही किया अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत वर्तमान मे प्रभावी है। नेचुरल सक्सेशन का स्टेटस है। रेस्पो0 क्रम 1 का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.7.2014 का है मेरा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.7.2014 है दोनो को अलग अलग डील किया गया दिनांक 25.7.2014 को ही बयान ले लिये गये मुझे अवसर ही नही दिया गया। पटवारी रिपोर्ट मेरी उपस्थिति की नही है अधीनस्थ न्यायालय को मेरे बयान लेना चाहिये था। पहली वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है दुसरी वसीयत अन रजिस्टर्ड है जब दोनो वसीयत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष थी तो विस्तृत जांच की जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक तथ्यों का पालन किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी (1) 2019 राज0 पेज 184 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

6 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गौर किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। अवधि मध्य मानी जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 क्रम–1 अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख मौजूद नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7 प्रकरण का गुणावगुंण के आधार पर अवलोकन किया गया। प्रकरण मे अपीलांट एंव रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेजात होने प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी स्वीकार किये जाकर दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपीयां रेकार्ड पर ली जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के0 पाटन द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर माणकचंद के पक्ष मे की गई वसीयत प्रमाणित होने से उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर ग्राम अरनेठा की कुल किता 18 रकबा 7.27 है हिस्सा 1/4 भूमि मे नन्दा पिता शंकरया का हिस्सा 1/4 पर एवं ग्राम श्रीपुरा के ख0 नं0 216 रकबा 0.25 है0, ख0 नं0 436 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 हिस्सा 1/2 पर नन्दा उर्फ नन्दलाल पि0 शंकरिया जाति माली के स्थान पर वसीयतग्रहिता माणकचंद आ0 गोमदा उर्फ गोविन्दलाल जाति माली निवासी सुभाष कॉलोनी खेडली फाटक का नाम दर्ज किये जाने का जेरअपील निर्णय दिनांक 14.11.2014 पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि मृतक नन्दा द्वारा अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 28.11.1986 को रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की है जो आज भी प्रभावी है अधीनस्थ न्यायालय ने अनरजिस्टर्ड तथा कथित फर्जी वसीयत दिनांक 11.

11.2001 के आधार पर रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे प्रश्नगत संयुक्त खातेदारी की आराजी का नामा0 खोलने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की है तथा वर्तमान मे विभाजन एवं घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन के यहां चल रहा है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय के अवलोकन से स्पस्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत दोनो वसीयतो की परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर माणकचंद के पक्ष मे की गई वसीयत प्रमाणित होने से उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर जेरअपील निर्णय पारित किया है। मृतक खातेदार द्वारा माणकचंद के पक्ष मे की गई वसीयत अन्तिम वसीयत है राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 अनुसार भी खातेदार आसामी अपने भूमि –क्षेत्र मे अपने हित को या हितांश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्छा–पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है। उक्त कानूनी प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे भी हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत पाते है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण चस्पा नही होते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 7.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा